



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2015/चैत्र 25, 1937

No. 779]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2015 /CHAITRA 25, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2015

का.आ. 1012 (अ).— केन्द्रीय सरकार चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2015 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (जिसे इसमें इसके मूल आदेश कहा गया है) में पैरा 2 में, -
(क) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(घ घ) "जिला मॉनीटरिंग समिति" से तात्पर्य प्रत्येक चाय उगाने वाले जिले में चाय के लघु उगाने वाले को दी जा रही हरी पत्ती की कीमत की मॉनीटरिंग करने के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित समिति से है;'
- (ख) खंड (ज) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(ज ज) "चाय के लघु उगानेवाले से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो 10.12 हे. (25 एकड़) तक के चाय क्षेत्र का स्वामी है;'
- (ग) खंड (थ) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(थ थ) "आउट टर्न प्रतिशत" से तात्पर्य हरी पत्ती तथा निर्मित चाय की मात्रा के बीच का संपरिवर्तन है;'

(घ) खंड (प) में, “खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के विनिर्देश” शब्दों एवं अंकों के स्थान पर “खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम” शब्दों एवं अंकों को रखा जाएगा;

(ड.) खंड (म) में “खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम 37)” शब्दों, अंकों तथा कोष्ठक के स्थान पर “खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम” शब्दों एवं अंकों को रखा जाएगा ।

3. मूल आदेश के पैरा 3 में, -

(i) उप-पैरा (1) में, “उनके स्वामित्व वाले अथवा उनके द्वारा नियंत्रित प्रत्येक कारखाने के संबंध में इस अध्याय के अधीन प्राप्त विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण को छोड़कर” शब्दों के स्थान पर “उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक कारखाने के संबंध में इस आदेश के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना और फैक्टरी की स्थापना का कार्य पूरा होने के बाद, विनिर्माता उनके स्वामित्व वाली अथवा उनके द्वारा नियंत्रित प्रत्येक कारखाने के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा” शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उप-पैरा (3) में “रजिस्ट्रीकरण” शब्द के स्थान पर “अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा रजिस्ट्रीकरण” शब्दों को रखा जाएगा;

(iii) उप-पैरा (4) में, -

(क) “रजिस्ट्रीकरण” शब्द के स्थान पर “अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा रजिस्ट्रीकरण” शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) “रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र” शब्दों के स्थान पर “अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो” शब्दों को रखा जाएगा ।

4. मूल आदेश में, पैरा 3 के बाद, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3 क. विद्यमान कारखाने की क्षमता वृद्धि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र .- (1) कोई भी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता पूर्व सूचना दिए बिना तथा बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना विद्यमान कारखाने की उत्पादन क्षमता के वृद्धि संबंधी कार्यकलाप नहीं करेगा ।

(2) बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने और कारखाने की क्षमता वृद्धि पूरी होने के बाद, रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता विस्तारित कारखाने के रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन के लिए प्रपत्र ‘क’ में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाए, किसी आवेदक को विद्यमान क्षमता वृद्धि की अनुमति देने से इंकार कर सकता है और वह उसे ऐसे आदेश की प्रति देगा;

परंतु यह कि इंकार का आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का एक अवसर भी प्रदान किया जाएगा ।

(4) उप-पैरा (3) के अधीन जहाँ रजिस्ट्रीकरण आवेदन नामंजूर नहीं किया जाता, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी प्रपत्र ‘ख’ में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ।”

5. मूल आदेश में, पैरा 21 में, -

(i) उप-पैरा (1) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत क्रीत पत्ती चाय कारखाना चाय (विपणन) नियंत्रण संशोधन आदेश, 2015 लागू होने की तारीख से किसी कैलेंडर वर्ष में विनिर्मित कुल चाय के न्यूनतम 70 प्रतिशत का विक्रय भारत में सार्वजनिक चाय नीलामियों के माध्यम से करेगा जिनका आयोजन इस आदेश के प्रावधानों के अधीन नीलामी हेतु लाइसेंस प्राप्त चाय नीलामी के आयोजकों के नियंत्रण अथवा तत्वावधान में किया जाता है।”;

(ii) उप-पैरा (2) में, “विनिर्माता” शब्द के स्थान पर “क्रीत पत्ती कारखाना” शब्दों को रखा जाएगा ।

6. मूल आदेश में, पैरा 23 में विद्यमान पैरा को उप-पैरा (1) के रूप में अंकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अंकित उप-पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) मासिक विवरणी निर्धारित समय-सीमा के भीतर तथा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत की जाएगी।

(3) किसी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता द्वारा लगातार छह मास तक मासिक विवरणी प्रस्तुत न किए जाने की दशा में यह माना जाएगा कि विनिर्माता ने चाय विनिर्माण का प्रचालन छोड़ दिया है और उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा।”

7. मूल आदेश में, पैरा 28 में, उप-पैरा (1) और (2) में “समय-समय पर यथासंशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954” शब्दों के स्थान पर “खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम” शब्दों को रखा जाएगा।

8. मूल आदेश में, पैरा 30 के उप-पैरा (1) में “रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता द्वारा प्राप्त विक्री आगम” शब्दों के पश्चात् “के साथ-साथ आउट टर्न प्रतिशत:

परन्तु यह कि परम्परागत तथा संदलित, टियर तथा कर्ल चाय के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रथमतः आउट टर्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया जाएगा।” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. मूल आदेश में, पैरा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“30 क. जिला हरी पत्ती कीमत मॉनीटरिंग समिति – (1) प्रत्येक चाय उगाने वाले जिले में एक हरी पत्ती कीमत मॉनीटरिंग समिति होगी जिसमें क्रीत पत्ती कारखानों, चाय के लघु उगाने वाले तथा बागान कारखानों से दो प्रतिनिधि और बोर्ड का एक अधिकारी जो सहायक निदेशक के स्तर से नीचे का न हो, शामिल होंगे तथा ऐसे चाय उगाने वाले जिले का कलेक्टर अथवा उपायुक्त पदेन अध्यक्ष होगा। बोर्ड का अधिकारी इस समिति का सदस्य सचिव होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी समिति के संविधान को अधिसूचित करेगा और समिति का कार्यकाल ऐसी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष तक के लिए होगा तथा प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष अथवा बोर्ड के अधिकारी से भिन्न समिति के किसी अन्य सदस्य की मृत्यु होने अथवा उसके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उस श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व मृतक अथवा, जैसी भी स्थिति हो, त्याग पत्र देने वाला सदस्य करता था, से किसी नए सदस्य को पुनःनामनिर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे पुनःनामनिर्दिष्ट सदस्य का कार्यकाल शेष अवधि के लिए ही होगा जैसेकि समिति के सदस्य की मृत्यु अथवा त्याग पत्र दिए जाने की घटना हुई ही न हो।

(4) क्रीत पत्ती कारखानों, लघु उगाने वालों अथवा संपदा कारखानों का प्रतिनिधित्व करने वाला समिति का कोई भी सदस्य दो लगातार अवधियों के लिए समिति का सदस्य नहीं बन सकता है।

(5) समिति निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात् :-

(क) पैरा 30 के प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कीमत विभाजन फार्मूला लागू करके ऐसे जिले के क्रीत पत्ती कारखानों की पिछले माह की औसत नीलामी कीमत के आधार पर प्रत्येक उत्तरवर्ती मास के लिए चाय के लघु उगाने वाले को देय औसत हरी पत्ती कीमत की मॉनीटरिंग करना;

(ख) चाय के लघु उगाने वाले को ऐसी औसत कीमत के संदाय के अनुपालन का निरीक्षण करना और दोषी क्रीत पत्ती विनिर्माता के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचित करना।

(6) समिति का सदस्य सचिव मास में कम से कम एक बार समिति की बैठक का संचालन सुनिश्चित करेगा।”

10. मूल आदेश में, प्रपत्र ‘क’ के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रपत्र- ‘क’

पैरा 3(2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
(तीन प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ)

सेवा में,

अध्यक्ष,
चाय बोर्ड,
14-वीं टी एम सरणी
कोलकाता- 700001

महोदय,

मैं/हम, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के अधीन चाय के विनिर्माता तथा/अथवा उत्पादक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।
आवश्यक विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विशिष्टियाँ	टिप्पणियाँ
1	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2	पिन कोड सहित डाक पता	
3	चाय प्रसंस्करण इकाई का नाम	
3 क	चाय प्रसंस्करण इकाई का पता	
3 ख	दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या तथा ई-मेल आई डी	
4	उत्पादन की वार्षिक क्षमता	
5	संस्थापना की तारीख के साथ संस्थापित मशीनों एवं उपकरणों की विस्तृत सूची	
6	सिविल इंजीनियर द्वारा बनाए जाने वाले कारखाने में अंतिम अभिन्यास आरेखन प्रति	
7	यदि चाय प्रसंस्करण इकाई को संपदा कारखाने के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाना है तो कृपया चाय बोर्ड की रजिस्ट्रीकरण संख्या, संपदा के नाम के साथ चाय के अधीन रजिस्ट्रीकृत क्षेत्र का उल्लेख करें।	
8	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या एवं जोन	
9	चाय बोर्ड, कोलकाता के पक्ष में बनाए जाने वाले 2500/- रुपए के बैंक ड्राफ्ट का ब्यौरा	1. बैंक ड्राफ्ट संख्या: 2. तारीख: 3. राशि: 2500/-रुपए

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:”

[फा. सं. टी-12014/1/2013-वागान (क)]

रजनी रंजन रश्मि, अपर सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्यांक 1(अ), तारीख 01.01.2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का.आ. 247(अ), तारीख 28 फरवरी, 2003, का.आ. संख्यांक 430(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2003, का.आ. संख्यांक 270(अ), तारीख 27 फरवरी, 2004, का.आ.संख्यांक 1170(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2004 और का.आ.संख्यांक 1017(अ), तारीख 15 जुलाई, 2005 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th April, 2015

S.O. 1012 (E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely:-

1. (1) This Order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication.

2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003 (hereinafter referred to as the principal Order), in paragraph 2,—

(a) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(dd) “District monitoring committee” means a committee notified by the Board for each tea growing district to monitor the price of green leaf being paid to the small tea growers;’;

(b) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(jj) “small tea grower” means a person owning tea area upto 10.12 ha (25 acres);’;

(c) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(qq) “out turn percentage” means the conversion between volume of green leaf and made tea;’;

(d) in clause (u), for the words and figures “Prevention of Food Adulteration Act, 1954 specifications”, the words and figures “Food Safety and Standards Act, 2006 or the rules or regulations made thereunder” shall be substituted;

(e) in clause (y), for the words, figures and brackets “Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Act 37 of 1954)”, the words and figures “Food Safety and Standards Act, 2006 or the rules or regulations made thereunder” shall be substituted.

3. In paragraph 3 of the principal Order,—

(i) in sub-paragraph (1), for the words “except under a valid registration obtained under this Chapter in respect of each factory owned or controlled by him”, the words “without obtaining a no objection certificate under this Order in respect of each factory to be set up by him and after completion of setting up of the factory, the manufacturer shall apply for obtaining registration of in respect of each such factory owned or controlled by him” shall be substituted;

(ii) in sub-paragraph (3), for the word “registration”, the words “no objection certificate or registration” shall be substituted;

(iii) in sub-paragraph (4),—

(a) for the word “registration”, the words “no objection certificate or registration” shall be substituted;

(b) for the words “a certificate of registration” the words “no objection certificate or a certificate of registration, as the case may be,” shall be substituted.

4. In the principal Order, after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“3A. No objection certificate for capacity enhancement of existing factory.— (1) No registered manufacturer shall carry on the activities to enhance the production capacity of the existing factory without prior intimation and obtaining the no objection certificate from the Board.

(2) After obtaining the no objection certificate from the Board and completion of the capacity enhancement of the factory, the registered manufacturer shall apply to the registering authority in Form “A” for changing the registration of the extended factory.

(3) The registering authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant enhancement of the existing capacity to an applicant and shall furnish him with a copy of the order so passed:

Provided that before passing an order of refusal, an opportunity of being heard shall also be granted to the applicant.

(4) Where an application for registration is not refused under sub-paragraph (3), the registering authority shall grant the applicant a certificate of registration within fifteen working days from the date of receipt of the application in Form 'B'.

5. In the principal Order, in paragraph 21,—

(i) for sub-paragraph (1) and the proviso, the following shall be substituted, namely:—

“(1) Every registered Bought leaf tea factory shall, on and from the date of commencement of the Tea (Marketing) Control Amendment Order, 2015, sell not less than 70 per cent. of the total tea manufactured in a calendar year through public tea auctions in India, held under the control or auspices of organisers of tea auction licenced to do so under the provisions of this Order.”;

(iii) in sub-paragraph (2), for the word “manufacturer”, the words “Bought leaf factory” shall be substituted.

6. In the principal Order, in paragraph 23, the existing paragraph shall be numbered as sub-paragraph (1) thereof and after sub-paragraph (1) as so re-numbered, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:—

“(2) The monthly return shall be submitted within the time and in the manner as may be decided by the Registering Authority from time to time.

(3) In case the monthly return is not submitted for six consecutive months by any registered manufacturer, it shall be deemed that the manufacturer has ceased its operation of manufacturing tea and the registration certificate shall stand suspended.”.

7. In the principal Order, in paragraph 28, in sub-paragraphs (1) and (2), for the words “Prevention of Food Adulteration Act, 1954 as amended from time to time”, the words “Food Safety and Standards Act, 2006 or the rules or regulations made thereunder” shall respectively be substituted.

8. In the principal Order, in paragraph 30, in sub-paragraph (1), after the words “sale proceeds received by the registered manufacturer”, the words “as well as the out turn percentage:

Provided that for orthodox and crush, tear and curl tea, the out turn percentage shall be specified separately by the Registering Authority.” shall be inserted.

9. In the principal Order, after paragraph 30, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“30A. District green leaf price monitoring committee.— (1) There shall be a green leaf price monitoring committee in each tea growing district comprising of two representatives each from Bought leaf factories, small tea growers and estate factories and one officer of the Board not below the rank of Assistant Director and the Collector or Deputy Commissioner of such tea growing district shall be the ex-officio Chairman. The officer of the Board shall be the member secretary of the committee.

(2) The Registering Authority shall notify the constitution of the committee and the tenure of the committee shall be for three years from the date of such notification and the committee shall be reconstituted after the expiry of every three years.

(3) Upon the death or resignation of any member of the committee, other than the Chairman and officer of the Board, the Registering Authority can re-nominate new member from such category that the deceased or, as the case may be, resigned member represented and the tenure of such re-nominated member shall be for the remaining period, as if such death or resignation of the committee members has not happened.

(4) No member of the committee representing Bought leaf factories, small growers or estate factories shall be a member for two consecutive terms.

(5) The committee shall undertake the following functions, namely:—

(a) to monitor the average green leave price payable to the small tea growers for each succeeding month based on the last month average auction price of Bought leaf factories of such district by applying the price sharing formula as notified by the Registering Authority under the provisions of paragraph 30;

(b) to oversee the compliance of payment of such average price to the small tea growers and bring to the notice of the Registering Authority about the errant Bought leaf manufacturer.

(6) The member secretary of the committee shall ensure to conduct at least one meeting of the committee in a month.”.

10. In the principal Order, for Form 'A', the following Form shall be substituted, namely:—

“Form-‘A’
APPLICATION FOR REGISTRATION UNDER PARAGRAPH 3(2)
(To be submitted in triplicate)

To
The Chairman,
Tea Board,
14 -B.T.M. Sarani,
Kolkata -700 001.

Sir,

I/We hereby apply for registration as a manufacturer and/or producer of tea under the Tea (Marketing) Control Order, 2003.

Necessary particulars are furnished below:

Sl .No.	Particulars	Remarks
1.	Name of the applicant (in block letters)	
2.	Mailing address with PIN Code	
3.	Name of the Tea Processing Unit	
3A	Address of the Tea Processing Unit	
3B	Phone number, Fax Number & E-mail ID	
4	Annual Capacity of Production	
5	Detailed list of machines and equipment installed with date of installation.	
6	Copy of the final factory lay out drawing to be drawn by civil engineer	
7	If the Tea Processing Unit to be registered as Estate Factory, kindly mention registered area under tea with Registration Number of Tea Board, Name of the Tea Estate.	
8	Central Excise Registration Number & Zone	
9	Details of Bank Draft for Rs.2500/- to be drawn in favour of Tea Board, Kolkata	1. Bank Draft No: 2 . Date: 3. Amount: Rs. 2500/-

Yours faithfully,

(Signature of the applicant)

Date:
Place:”

[F. No. T-12014/1/2013-Plant (A)]

RAJANI RANJAN RASHMI, Addl. Secy.

Note: The principal order was published vide S.O. No. 1(E), dated 1.1.2003 in the Gazette of India, Extraordinary and subsequently amended vide S.O. No. 247(E), dated the 28th February, 2003, S.O. No. 430(E), dated 10th April, 2003, S.O. No. 270(E), dated 27th February, 2004, S.O. No. 1170(E), dated 20th October, 2004 and S.O. No. 1017(E), dated 15th July, 2005.